न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी – श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

फौजदारी मुकदमा संख्या 02/2014

सायल	बनाम	गैर सायल
जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर		शोभसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति राणा राजपूत निवासी रेल्वे कुंआ नं. 3 बाड़मेर पुलिस थाना कोतवाली बाड़मेर

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2 ख (i) व (viii)/3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित– 1. श्री दौलतराम सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर सायल ओर से।
2. गैर सायल अनु0, गैर सायल के वकील श्री तरूण व्यास उपस्थित।

निर्णय दिनांक 29.05.2017

1. सायल की ओर से दिनांक 14.02.2014 को गैर सायल शोभसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति राणा राजपूत निवासी रेल्वे कुंआ नंबर 03 बाड़मेर पुलिस थाना कोतवाली बाड़मेर के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2 ख (i) व (viii)/3 के अन्तर्गत परिवाद प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैर सायल शातिर किस्म का नकबजन है एवं अपने पास हथियार रखकर नकबजनी करने का अभ्यस्त है। जिसके कारण लोक व्यवस्था बनाये रखने के लिए प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। गैर सायल से आमजन में भय व्याप्त है, इसके भय से आमजन इसके विरूद्व कोई भी विधि अनुकूल कार्यवाही कराने से डरता है एवं भयभीत हैं। गैर सायल ने नकबजनी को अपना पेशा बना रखा है तथा सामान्य कानूनी, इन्सदादी कार्यवाही करने पर भी बाज नहीं आ रहा है। यदि इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो कभी भी बड़ी गम्भीर वारदात कर सकता है, जिससे समाज एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। गैर सायल के विरूद्व कुल 09 प्रकरण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457 व 380 में एवं एक प्रकरण 4/25 आमर्स एक्ट में दर्ज होकर, चालान

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाड़मेर

न्यायालय में पेश किये गये जिसमें न्यायालय द्वारा निम्न 05 प्रकरणो में दोषी पाया गया एवं सजा हुई है–

1. मुकदमा संख्या 451/5.12.2013 अन्तर्गत धारा 457 व 380 भा.द.सं. चालान नंबर 264/23.12.2013 निर्णय दिनांक 17.7.2014 सजा
2. मुकदमा संख्या 422/17.11.2013 अन्तर्गत धारा 457 व 380 भा.द.सं. चालान नंबर 265/23.12.2013 निर्णय दिनांक 17.7.2014 सजा
3. मुकदमा संख्या 436/24.11.2013 अन्तर्गत धारा 457 व 380 भा.द.सं. चालान नंबर 263/23.12.2013 निर्णय दिनांक 17.7.2014 सजा
4. मुकदमा संख्या 415/04.11.2013 अन्तर्गत धारा 457 व 380 भा.द.सं. चालान नंबर 262/27.12.2013 निर्णय दिनांक 17.7.2014 सजा
5. मुकदमा संख्या 437/24.11.2013 अन्तर्गत धारा 457 व 380 भा.द.सं. चालान नंबर 265/19.12.2013 निर्णय दिनांक 17.7.2014 सजा

उक्त अपराधिक प्रकरणों के आधार पर गैर सायल को गुण्डा घोषित करते हुए जिले से निष्कासित किये जाने का निवेदन किया गया।

2. प्रकरण पंजीबद्व होकर, गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत नोटिस जारी किया गया।

3. गैर सायल के विद्वान अधिवक्ता ने पर्याप्ट अवसर दिये जाने के बाद भी नोटिस का जवाब पेश नहीं किया गया फलस्वरूप गैर सायल का जवाब दिनांक 4.12.2015 को बन्द किया गया।

4. सायल की ओर से परिवाद के समर्थन में श्री कैलाशचन्द्र थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बाड़मेर के बयान करवाऐ गए व सम्बन्धित दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गया। गैर सायल के वकील द्वारा साक्ष्य पेश नहीं करने के फलस्वरूप गैर सायल की साक्ष्य बन्द की गई।

5. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी एवं न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। विद्वान सहायक लोक अभियोजक प्रथम का यह तर्क हैं कि गैर सायल अपराधिक गतिविधियों में लिप्त होना पाया गया है, इसके विरूद्व धारा 380 व 457 भा.दं.स. के तहत दर्ज 09 प्रकरणों में से 05 में न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया जाकर सजा व जुर्माने से दण्डित किया गया है। सायल पक्ष के गवाह श्री कैलाशचन्द थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली ने अपने अभिकथनो में गैर सायल के

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाड़मेर

विरूद्व धारा 380 व 457 में भा.दं.स. के तहत 9 मुकदमों में से 5 प्रकरणों में सजा होकर जुर्माना से दण्डित होना बताया तथा गैर सायल के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (i) में वर्णित स्थितियॉ विद्यमान होने से गैर सायल को जिले से बाहर निष्कासन किये जाने का प्रर्याप्त आधार होना जाहिर किया।

6. सहायक लोक अभियोजक प्रथम के तर्को का खण्डन करते हुए गैर सायल के विद्वान वकील ने दलील दी कि पुलिस इस्तगासा में गैर सायल के विरूद्व बताये गये मुकदमों में से 09 मुकदमें धारा 380 व 457 भा.दं.स. के तहत वर्ष 2014 से पूर्व के है, 01 मुकदमा 4/25 आर्मस एक्ट का है, सभी मुकदमें जैर ट्रायल बताए गये है, इनका अन्तिम निस्तारण नहीं हुआ है। गैर सायल को गुण्डा घोषित करने हेतु 03 मुकदमो का निस्तारण होना अनिवार्य है, जबकि गैर सायल के विरूद्व एक भी प्रकरण पेश नहीं हुआ है। अतः गैर सायल के विरूद्व गुण्डा एक्ट के तहत की जा रही कार्यवाही निरस्त की जाऐं।

7. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अपराधिक अभिलेख का भी भलीभांति अध्ययन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता हैं कि गैर सायल शोभसिंह आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है, जो नकबजनी जैसे गैरकानूनी कार्यो में सक्रिय है। नकबजनी जैसे अपराध के कारण आम लोगो की जान एवं माल हमेशा जोखिम में रहती है एवं लोगो में भय बना रहता है। गैर सायल के विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली बाड़मेर में 09 प्रकरण धारा 380 व 457 भा.दं.स. के दर्ज होकर लिप्त होना पाया गया। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (i) स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य या मुखिया के रूप में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45 के अध्याय 16, अध्याय 17 या अध्याय 22 अथवा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 290 से 294, 302 से 462 एवं 503 से 510 के अधीन दण्डनीय अपराध अभ्यासत करता है, या करने का प्रयास करता है, या करने के लिए दुष्प्रेरित करता है एवं इस धारा में दिये गये स्पष्टीकरण अनुसार अपराध या कार्य करने का दोषी पाया गया हो तो उक्त अधिनियम के तहत उसके विरूद्व कार्यवाही करने का प्रावधान है। सायल द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा अनुसार गैर सायल के विरूद्व धारा 380 व 457 भा.दं.स. के तहत 09 एवं 01 मुदकमा 4/25 आपराधिक प्रकरण दर्ज होकर सम्बन्धित न्यायालय में चालान पेश किये गये है। सायल द्वारा गैर सायल के विरूद्व दर्ज प्रकरणों की सूची में से 05 प्रकरणों में दोषी ठहराया गया है। उक्त आपराधिक अभिलेख का अध्ययन करने पर यह

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाड़मेर

पाया गया कि गैर सायल का आचरण राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (i) के प्रावधानो के तहत गुण्डा व्यक्ति जैसा होना प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में गैर सायल शोभसिंह पुत्र उम्मेदसिंह को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा अधिनियम की धारा 3(3) के तहत तीन माह की अवधि के लिए बाड़मेर जिला से निष्कासित कर, उसे जिला पुलिस अधीक्षक राजसमन्द के नियंत्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। गैर सायल जिला पुलिस अधीक्षक राजसमन्द द्वारा निर्धारित पुलिस थाना में प्रतिदिन अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगा। वह इस अवधि में नेक चलन रहेगा और सदाचार एवं शान्ति बनाये रखेगा। गैर सायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ, हथियार/शस्त्र नहीं रखेगा। गैर सायल शोभसिंह इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका रूपये 10000/– एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 एवं नियम 18 के तहत पेश कर, तस्दीक करायेगा। गैर सायल को आदेश दिये जाते हैं कि वह तत्काल बाड़मेर जिला छोड़कर जिला पुलिस अधीक्षक राजसमन्द के समक्ष अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करें। जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर, अगर गैर सायल 15 रोज के भीतर इस आदेश की पालना नहीं करता है तो उसे पुलिस अभिरक्षा में जिला पुलिस अधीक्षक राजसमन्द को सुपुर्द कर, पालना सुनिश्चित करावें।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर जिला मजिस्ट्रेट,
बाड़मेर
अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 29.05..2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला मजिस्ट्रेट,
बाड़मेर
अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाड़मेर